क्रम-संख्या 106 (क)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, मंगलवार, 16 अप्रैल, 2019 ई0
(वैशाख 26, 1941 शक संवत्)

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) संशोधन विनियमावली, 2019

संख्याः यूपीईआरसी/सचिव/कार्मिक/2019-117

लखनऊ, दिनांक : 16 अप्रैल, 2019 ई0

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 तथा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा प्रदेश सरकार की अनुरूपता में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अधिसूचना संख्या उप्रविनिआ/सचिव/कार्मिक/2004-4278, दिनांक 08 दिसम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियमावली, 2004 को संशोधित करते हैं।

1—संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—

(अ) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्मिकों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2019 कहलायेगी।

(ब) यह विनियमावली प्रदेश के गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2—संशोधन—

(अ) अध्याय पाँच का शीर्षक 'वार्षिक निर्धारण, अनुशासनिक कार्यवाही तथा शास्तियों' के स्थान पर 'वार्षिक निर्धारण, अनुशासनिक कार्यवाही, शास्तियाँ तथा सेवा निवृत्ति' हो जायेगा।

(ब) अध्याय पांच के अन्त में निम्न जोड़ा जायेगा—

उन प्रकरणों के अतिरिक्त जिन के सम्बन्ध में इस विनियमावली के अन्य अनुच्छेदों में प्राविधान हैं, आयोग के कार्मिक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा। उन विशिष्ट

कारणों के आधार पर, जिनका उल्लेख लिखित में किया जायेगा। आयोग द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी कार्मिक की 62 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति की जा सके। 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त पुनर्नियुक्ति अत्यन्त विशिष्ट परिस्थितियों में ही की जा सकेगी।

प्रतिबंध यह है कि–

(1) आयोग किसी भी कार्मिक को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त 3 माह का नोटिस देकर अथवा उसके स्थान पर पूर्ण अथवा आंशिक भाग का वेतन देकर उसे सेवानिवृत्त कर सकता है। नोटिस की पूर्ण अवधि अथवा उसके अंश के लिये वेतन का भुगतान किये जाने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को वेतन के भुगतान की अवधि उसके सेवाकाल में जोड़ी जायेगी।

(2) 45 वर्ष की आयु ग्रहण करने के उपरान्त कोई भी कार्मिक 3 माह का नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकता है।

(3) द्वितीय परन्तुक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु किसी ऐसे कार्मिक द्वारा दिया गया नोटिस, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित है अथवा विचाराधीन है, तभी स्वीकार्य होगा जब प्रकरण पर निर्णय हो जाय।

(4) द्वितीय परन्तुक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का कार्मिक द्वारा दिया गया नोटिस आयोग की स्वीकृति के बिना वापस नहीं लिया जा सकेगा।

(5) निलम्बित कार्मिक द्वारा दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) द्वितीय परन्तुक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु कार्मिक द्वारा दिये गये नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के भीतर आयोग द्वारा कार्यवाही कर अंतिमीकरण किया जायेगा। यदि प्रकरण का निस्तारण आयोग द्वारा तब भी नहीं किया जाता है तो तीन माह के उपरान्त ऐसे कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त मान लिया जायेगा।

आयोग की आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह,
सचिव।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, LUCKNOW

Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment,Control and Service Conditions of Staff) Second Amendment Regulations, 2019:

No. UPERC/Secy./SR/2019-117

Lucknow dated: April 16, 2019

Notification

In exercise of powers conferred by section 91 and 181 of the Electricity Act, 2003, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission in conformity with the State Government does hereby make the following regulations to amend the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2004 notified *vide* notification no. UPERC/Secy./SR/2004-4278, dated 08.12.2004:

1. Short title and commencement–

(a) These regulations may be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Second Amendment Regulations, 2019.

(b) These Regulations shall come into force *w.e.f.* the date of publication in the State Gazette.

5/29/2019 Scan_001.jpg

2. Amendments–

(a) The heading of Chapter-V will stand changed from Annual Assessment, Disciplinary Proceedings and Penalties to Annual Assessment, Disciplinary Proceedings, Penalties and Retirement.

(b) At the end of Chapter-V the following will be inserted:

Except as otherwise provided in other clauses of this regulation an employee of the Commission will be deemed to have attained superannuation on the date on which he attains the age of 60 years.

The Commission may reappoint an individual after the date of his superannuation, on specific grounds as recorded in writing, upto the age of 62 years. Any reappointment after the age of 62 years shall be given under very special circumstances.

Provided that:

(1) The Commission may,at any time, without assigning any reason require, an employee to retire after giving 3 months' notice or pay in lieu of this notice, after he attains the age of 50 years. In the case of pay being given in lieu of such notice, the said period shall stand added to the qualifying service of such an employee.

(2) The employee may, after attaining the age of 45 years, voluntarily retire after giving 3 months' notice to the Commission.

(3) The notice of voluntarily retirement given under the 2nd proviso by an employee against whom a disciplinary proceeding is pending or contemplated shall be effective only after it is concluded.

(4) The notice given by an employee under the 2nd proviso shall not be withdrawn by him except with the permission of the Commission.

(5) The notice of voluntary retirement in no circumstances be accepted by the Commission if such an employee is placed under suspension.

(6) The notice of voluntary retirement given under 2nd proviso shall be processed and finalised by the Commission within a period of 3 months from the date of receipt of such notice. After 3 months, if the matter is still not decided by the Commission, such employee shall be deemed to be voluntarily retired.

By order of the Commission,
SANJAY K. SINGH,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0 3 असाधारण गजट–04-05-2019–1150 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / आफसेट)।